राजस्थान–सरकार

न्यायालय आरबीट्रेटर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 38/2017 फोरलेन

उनवान

1. श्रीमती राजकुमारी पत्नी उत्तम सिंह चौधरी निवासी पन्नाधाय सर्किल के पास, आजाद नगर, भीलवाडा मृतका जरिये विधिक वारिसान उत्तम सिंह चौधरी पिता स्व0 दुर्ग सिंह चौधरी निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा वगैरह।

——प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा
2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार जरिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 758 राजसमन्द भीलवाडा सेक्शन) कार्यालय 6–ए–1 आर. सी.व्यास कॉलोनी भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा

——विपक्षीगण

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरूद्ध अवार्ड प्रकरण संख्या 126/2014 अवार्ड आदेश दिनांक 31.10.2014 एवं अवार्ड प्रकरण संख्या 126/14 दिनांक 26–12–2014

उपस्थितः–

1. श्री R.P सोनी अधिवक्ता – प्रार्थीया की ओर से।
2. श्री दिनेश चन्द्र बापना –विपक्षी सं. 02 की ओर से।

निर्णय

निर्णय दिनांकः 01.08.2023

प्रार्थीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी नेशनल हाईवे एक्ट 1956 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी भीलवाड़ा के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (भीलवाडा से लाडपुरा सेक्शन) फोरलेन चौडा बनाने के लिए भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 ए–1 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 08.01.2013 को प्रकाशित की गयी। उक्त भारतीय

विपक्षी संख्या 02 द्वारा अपने जवाब में आगे बताया कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 01.01.2015 को लागू किया गया है जबकि प्रार्थिया की अवाप्त की गई भूमि का अवार्ड दिनांक 31.10.2014 व 26.12.2014 को पारित फरमाया गया है जिससे प्रार्थिया उक्त प्रावधानों के तहत मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। भूमि अवाप्ति से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है अपितु अधिनियम की धारा 3 (क) के अंतर्गत अधिसूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गई है। अधिनियम की धारा 3 जी (1)(2) के अंतर्गत हितबद्ध व्यक्तियों को अपना दावा प्रस्तुत करने व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम की धारा 3 जी (1)(2) निम्न प्रकार वर्णित हैः– 3G. Determination of amount payable as compensation.

(1) Where any land is acquired under this Act, There shall be paid an amount which shall be determined by an order of the competent authority.

(2) Where the right of user or user or any right in the nature of an easement on, any land is acquired under this Act, there shall be paid an amount to the owner and any other person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whtsoever by reason of such acquisition an amount calculated at ten percent. of the amount determined under sub-section (1), for that land.

अतः प्रार्थिया द्वारा जो प्रार्थना वर्णित की गई है, वह असत्य एवं आधारहीन होने से प्रार्थिया वांछित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में दिनांक 19.03.2021 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् मूल परिवाद प्रार्थना पत्र में संशोधन करने का पेश किया गया जिसका जवाब विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.07.2021 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 06.09.2021 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं

आराजी का मूल्यांकन कराया जाकर तद्नुसार फलदार पौधे का अवार्ड जारी किया गया जो विधिनुकूल हैं। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में फलदार पौधे के मुआवजे पर आपत्ति प्रकट की हैं, परन्तु प्रार्थिया ने न तो सहायक निदेशक उद्यान, भीलवाडा को पक्षकार बनाया हैं एवं न ही प्रार्थिया ने फलदार पौधे के मूल्यांकन हेतु कोई विधिनुकुल तथ्यात्मक सरकारी ऐजेंसी की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं, जिससे सिद्ध होता हो कि फलदार पौधो का मूल्यांकन 18 गुणांक के बजाय 25 का गुणांक दिया जाना चाहिये। उक्त भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा ने दिनांक 10.12.2014 को नोटिस जारी कर मुआवजा राशि का वितरण दिनांक 13.01.2015 को किये जाने हेतु जारी किया गया एवं इसी प्रकार फलदार पौधे का मुआवजा राशि का वितरण दिनांक 18.03.2015 को जारी किये जाने का नोटिस जारी किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध N.H.A.I. के पत्र क्रमांक 2680 दिनांक 26.11.2014 के अनुसार ग्राम आकोला में अवाप्त की गई भूमियों की मुआवजा राशि सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के संयुक्त खाता संख्या 61245211577 शाखा भीलवाडा में दिनांक 25.11.2014 को जरिये RTGS राशि हस्तान्तरण करना जाहिर आया है, जिससे प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नजीर DNJ 2019 (2) page 793 Ratan Badola & Ors v/s Union of India Thro 'Ministry of Road Transport and Highway Secretar & Ors प्रस्तुत प्रकरण में चस्पा नहीं होती है क्योकि उक्त नजीर मे अवार्ड 31.12.2014 के बाद जारी किया गया जबकि RFCTLARR Act,2013 दिनांक 01.01.2015 से लागू हुआ है। विपक्षी N.H.A.I. के अधिवक्ता श्री बापना ने अपने तथ्यों के समर्थन मे SB civil Writ Petition no 12476/2017 Goparam बनाम Union of India प्रस्तुत की जिसमें वर्णित किया गया किः–Moreover it is not in dispute that the acquiring authority i.e. moRTH and the pwd had already deposited the whole amount of compensation with the CALA before 31.12.2014 and, therefore, it cannot be said that compensation was not paid before 31.12.2014. The disbursement of compensation to the land owners is the function of the LandAcquisition Officer and if there is any laxity on the part of the Land Acquisition officer in disbursing the compensation amount the acquiring authority cannot be held liable for the said inaction.

प्रार्थिया के अधिवक्ता ने भूमि पर स्थित पौधों की दर के बारे मे भी उजर उठाया लेकिन इस सम्बंध मे उनकी ओर से कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई इसके विपरित विपक्षी N.H.A.I. के अधिवक्ता ने उद्यान विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रावली में पेश की जिसमें उपनिदेशक, उद्यान एवं सहायक निदेशक उद्यान, भीलवाड़ा, कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, भीलवाड़ा एवं कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, भीलवाड़ा की एक कमेटी गठित कर पौधों के बारे मे मूल्याकंन मंगवाई जाना उल्लेखित है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में तीन सदस्यो द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई इस रिपोर्ट के सम्बंध मे उजर उठाते हुए प्रार्थिया की ओर से पूर्व मे दिनांक 19.03.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र में संशोधन करने बाबत इस्तदुआ की गई जिसका जवाब विपक्षी N.H.A.I. द्वारा प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2021 को खारिज किया गया है।

इस प्रकार उद्यान विभाग के तीन सदस्यों द्वारा तैयार की गई मूल्याकन रिपोर्ट पर अविश्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। उक्त रिपोर्ट का किसी अन्य संस्था से पुनर्मूल्यांकन किया जाना न तो उचित है और न ही इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थिया द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट पर उठायी गई आपत्ति सारहीन होने से खारिज किया जाना विधिसम्मत है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार सक्षम प्राधिकारी (भू.अ.) एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित अवार्ड संख्या 126/2014 दिनांकित 31.10.2014 एवं फलदार पौधों के सम्बन्ध मे पारित अवार्ड क्रमांक 126/2014 दिनांक 26.12.2014 पूर्णतया विधिसम्मत होने से पुष्ट किया जाना एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/परिवादपत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित है। अतएव–

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड